

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें  
मध्यप्रदेश

क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2020/2261

भोपाल, दिनांक 28/11/2020

प्रति,

क्षेत्रीय संचालक,  
स्वास्थ्य सेवायें,  
ग्वालियर, म०प्र०।

विषय :- मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ ग्वालियर में दायर डब्लू०पी० 8391/2015, डॉ रितेश कंसल विरुद्ध शासन में शासन प्रतिरक्षण दायर करने के संबंध में।

विषयांकित प्रकरण में डॉ रितेश कंसल, चि०अ० एवं अन्य चिकित्सकों द्वारा वर्ष 2006 से 2014 के मध्य में विभाग में नियुक्त पीजी चिकित्सकों अथवा पीजी डिग्री/डिप्लोमा उत्तीर्ण किए चिकित्सकों को पूर्व अनुसार अग्रिम वेतनवृद्धि स्वीकृत करने हेतु याचिका में अनुरोध किया गया है। कृपया निम्नानुसार स्थिति से अवगत कराते हुए मा० न्यायालय को अवगत कराये जाने का कष्ट करें :-

- 1/ सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक सी-3/4/2004/3/एक, दिनांक 14.09.2006 द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि/पत्रोपाधि उपरांत पूर्व में दी जा रही अतिरिक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों का लाभ केवल ए०आई०सी०टी०ई० द्वारा मान्यता प्राप्त कोर्स उत्तीर्ण करने वाले शासकीय सेवकों ही दिए जाने का प्रावधान किया गया है शेष पाठ्यक्रम हेतु समाप्त कर दिया गया।
- 2/ म.प्र. शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के ज्ञापन क्र. एफ 02-01/2015/सत्रह/मेडि-1 भोपाल, दिनांक 23/04/2015 द्वारा स्नातकोत्तर उपाधि हेतु 03 एवं स्नातकोत्तर पत्रोपाधि हेतु 02 अतिरिक्त अग्रिम वेतन वृद्धियों स्वीकृत की गई है, किन्तु इसका लाभ दिनांक 01.01.2014 के उपरांत आयोजित चयन प्रक्रिया से लोक सेवा आयोग के माध्यम से चयनित चिकित्सकों को ही दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

प्रकरण में लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा वर्ष 2006 से 2014 के मध्य की अवधि में अग्रिम वेतनवृद्धि नियमों में संशोधन नहीं किया गया है अपितु सामान्य प्रशासन विभाग के आदेशानुसार अग्रिम वेतनवृद्धि नहीं प्रदान की जा रही है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार 02।

स्वास्थ्य आयुक्त द्वारा अनुमोदित

(डॉ०बी०डी०खरे)

उप संचालक(विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०

भोपाल, दिनांक 28/10/2020

प.क्रमांक/01/विज्ञप्त/सेल-संविदा/2020/2262

प्रतिलिपि: सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1. रजिस्ट्रार, मा० उच्च न्यायालय खण्डपीठ, ग्वालियर, म०प्र०
2. सचिव, म०प्र० शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल, म०प्र०।
3. संचालक(लीगल), स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म०प्र०।
4. नोडल अधिकारी, लीगल, क्षेत्रीय संचालक कार्यालय, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर म०प्र०।
5. प्रभारी एम०आई०एस०, स्थानीय कार्यालय, भोपाल, म०प्र०

उप संचालक(विज्ञप्त)

संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें, म०प्र०